राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पास, झालाना लिंक रोड., जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302017 (फोन– 0141–2719136)

क्रमांक प.6( )रा.सू.आ./केयरटेकर/मशीन विथ मैन/2025/825-830

दिनांक 28 FEB 2025

M/s KIYANA MICROHELP FOUNDATION
304, Krishna Kunj, Patrakar Colony,
Mansarovar, Jaipur

विषयः– कार्य आधार पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– ई–बोली आमंत्रण सूचना 1/2025–26 दिनांक 22.01.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक ई–बोली आमंत्रण सूचना 1/2025–26 के क्रम में आप द्वारा निविदा (बीओक्यू) के साथ प्रस्तुत दरें 10850.77 प्रतिमाह प्रति ईकाई (सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रति माह रू.9334/–, EPF (दर 13 प्रतिशत) रू.1213.42, ESI (दर 3.25 प्रतिशत) रू.303.35, सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह) रू.0.00, कुल राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रू. 10850.77 (पी.एफ.,ई.एस.आई. सहित) न्यूनतम होने पर सक्षम स्वीकृति उपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ई–बोली आमंत्रण सूचना 1/2025–26 में वर्णित समस्त शर्तों के अध्ययधीन स्वीकृत की जाती है।

अतः आप 18 कार्य आधार पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवाएं दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।

वित (जीएनटी) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)/वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के सभी प्रावधान लागू होगें।

कार्य प्रारम्भ तिथि दिनांक 01.03.2025 होगी। यह सुनिश्चित करें कि आप द्वारा कार्य आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस एवं प्रशिक्षित कार्मिक) ई–बोली की निर्धारित शर्त/स्पेसिफिकेशन/योग्यता के अनुसार हो। एवं आयोग कार्यालय में स्थापित किए जाने वाले कम्प्यूटर, प्रिन्टर दी गई शर्तो के Annexure I के Specification के अनुसार होना आवश्यक है।

शास्ति (penalty) :- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के कार्मिको को प्रत्येक माह दिनांक 5 से 10 तक मानदेय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाना आवश्यक है यदि निविदादाता प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिको को भुगतान करने में विफल रहता है तो प्रतिदिन राशि रू. 200/– प्रति कार्मिक शास्ति के रूप में वसूलनीय होगी। शास्ति की वसूली निविदादाता को देय भुगतान/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से की जायेगी। साथ ही संबंधित कार्मिकों के EPF व ESI की कटौती राशि संबंधित कार्मिक के खातों में उसी माह ही जमा करवाया जाना भी आवश्यक है अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

इसके साथ ही राशि 1000/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित अनुबन्ध तथा प्रतिभूति राशि नियमानुसार 27600/– का डिमान्ड ड्राफ्ट सचिव, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के नाम से देय हो, आयोग कार्यालय में 01.03.2025 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर।
2. लेखा शाखा, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
3. केयर टेकर, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर।
4. गार्ड फाईल।
5. प्रोग्रामर महोदया को ई–पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही करने बाबत

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग
जयपुर